न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 26/2018

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
1. हितेश पुत्र जवाहरमल जाति भण्डारी निवासी समदड़ी जिला बाड़मेर (मैसर्स भण्डारी हस्तीमल समदड़ी जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. विमल कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी समदड़ी जिला बाड़मेर (मैसर्स भण्डारी एजेन्सीज समदड़ी जिला बाड़मेर का सोल प्रोपराईटर)
3. मुकेश कुमार राजानी (डायरेक्टर मैसर्स भाग्योदय एसएस प्रा0लि0 डिपो ऑफ राजानी ग्रुप नियर अल्का मार्बल, विकेआई एरिया जयपुर)
4. मोहम्मद साहिद (डायरेक्टर मैसर्स भाग्योदय एसएस प्रा0लि0 डिपो ऑफ राजानी ग्रुप नियर अल्का मार्बल, विकेआई एरिया जयपुर)
5. विरेन कुमार गोरधनदास रजानी पुत्र गोवर्धन दास विठल दास राजानी, शम्भु नगर, विकास अपार्टमेंट, फेस बस स्टेण्ड, पचत, जूनागढ़, गुजराज (कम्पनी का नोमीनी मैसर्स रजनी स्पाईस प्रा0लि0 जूनागढ़, गुजरात)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(2)(पप) सहपठित धारा 52
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रामस्वरूप शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1व5 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2से4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 11.03.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स भण्डारी हस्तीमल प्रतापजी समदड़ी जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **31.08.2015** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **चीली पाउडर ब्राण्ड राजानी** जो कि 500–500 ग्राम के 50 पैकेट सील अवस्था में रखे हुए पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **04 पैकेट (500–500 ग्राम) चीली पाउटर ब्राण्ड राजानी** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–563** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **चीली पाउडर ब्राण्ड राजानी** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **चीली पाउडर ब्राण्ड राजानी** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण सं. 1व5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की फर्म से लिया गया नमूना प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के सभी तथ्यों का परिणाम अधिनियम/नियम द्वारा निर्धारित मानक सीमाओं के भीतर पाया गया हैं तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता हैं। प्रकरण में जब्तशुदा मसाला (चीली पाउडर) राजानी ब्राण्ड पर फूड एनालिस्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं पाया गया हैं जो मानव जीवन के लिए असुरक्षित हों। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावें। अवशेष अप्रार्थीगण का नोटिस तामील होने एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही किया गया। इस पर प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के **नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला** जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 14.09.2015 **की प्रति जरिये नोटिस** सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का अप्रार्थीगण के पास कोई जवाब नही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे मात्र यह प्रकट किया हैं कि प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा मानकों की कसौटी पर किसी प्रकार से प्रतिकूल नहीं पाया गया **हैं जबकि रिपोर्ट** में उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के अन्तर्गत **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाया गया हैं। अप्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी नमूना के **मिथ्याछाप होने के आरोप** का जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 25000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर